इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 मई 2022—ज्येष्ठ 5, शक 1944

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2022

क्र. एफ 2-18-2022-लोसेप्र-पी.एस.जी.-01.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ 02-05-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-12 दिनांक 31 अगस्त 2020 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 12.11 एवं सेवा क्रमांक 12.12 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.11	PCPNDT अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत केन्द्रों के नवीन पंजीयन.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	45 कार्य दिवस.	राज्य समुचित प्राधिकारी PCPNDT	60 कार्य दिवस.	सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
12.12	PCPNDT अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत केन्द्रों के पंजीयन का नवीनीकरण.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	राज्य समुचित प्राधिकारी PCPNDT	60 कार्य दिवस.	सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.